IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

::::

ORDER

Ashok Kumar
vs
State of Rajasthan

S.B. CRIMINAL REVISION PETITION NO.1080/2006 AGAINST THE ORDER DATED 4.11.2006 PASSED BY SHRI ASHOK KUMAR VYAS, RHJS, ADDITIONAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE (FAST TRACK), NAGAUR IN SESSIONS CASE NO.30/2006.

DATE OF ORDER : 22nd January, 2007

PRESENT
HON'BLE JUSTICE SHRI G.S. SARRAF

Shri S.D. Goswami, for the petitioners.
Shri S.N. Tiwari, Public Prosecutor.

<><><>

BY THE COURT:

The petitioner has preferred this revision petition against the order of Addl. District & Sessions Judge (Fast Track), Nagaur by which it has been held that the petitioner was more than 18 years old on the date of occurrence, i.e., 9.2.2006.

The petitioner who is facing trial under Sections 147, 148, 323, 307 read with Section 149 IPC in the court of Addl. District & Sessions Judge (Fast Track), Nagaur filed an application there on 1.7.2006 stating therein that he is a juvenile and, therefore,

that court did not have jurisdiction to try him for the aforementioned offences. He examined himself, his mother Prameshwari AW-2 and School Principal Ramdeo AW-3 whereas the State examined Dr. R.K. Agarwal NAW-1 and a teacher Bhanwarlal NAW-2. The Addl. District & Sessions Judge (Fast Track), Nagaur after discussing the evidence in detail came to the conclusion that the petitioner was more than 18 years of age on the date of occurrence.

Learned counsel for the petitioner has submitted that at S.No.621 of the Class Admission Register of Government Primary School, Firojpura, the date of birth of the petitioner is recorded as 15.8.1990 and as such he is minor. He has further submitted that the medical examination has also been conducted and the doctor has opined that the petitioner is 17 to 19 years old and if a beneficial view is taken, then the conclusion is that the petitioner was minor on the date of occurrence as per the medical evidence also.

Learned Public Prosecutor has submitted that the medical report does not support the fact that the date of birth of the petitioner is 15.8.1990 because according to the medical report the petitioner was 17 to 19 years old at the time of his examination. Learned Public Prosecutor has further submitted that the petitioner, in his cross-examination, says that he was admitted in the same school prior to 4.7.1994 also but the

petitioner did not produce any record of the previous admission. However, that record has been produced by the State according to which the petitioner took admission on 19.11.1991 and his date of birth was recorded as 1.1.1986 and thus he was major on the date of occurrence.

After hearing the rival contentions and after perusing the evidence available on the record I am of the view that the date of birth of the petitioner cannot be 15.8.1990 at least for two reasons. Firstly, it is not supported by medical evidence. Secondly, the petitioner has himself said that he was admitted in the same school previously also and according to the record of the previous admission his date of birth is 1.1.1986. The medical evidence is more nearer to the date being 1.1.1986 than 15.8.1990.

Learned Addl. District & Sessions Judge (Fast Track), Nagaur after discussing the evidence has drawn its conclusion as under: -

> " उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया तथा न्यायिक दृष्टांतों का भी ससम्मान अवलोकन किया गया। उल्लेखनीय हैं कि प्रार्थी के अधिवक्ता ने जो न्यायिक दृष्टांत हरपालसिंह बनाम एच.पी. राज्य ए.आई.आर. 1981 पेश किया हैं। उसके अनुसार तो बर्थ रजिस्टर में पदीय कर्तव्य के निर्वहन के दौरान की गई प्रविष्टियों की प्रमा. प्रति. को साक्ष्य में ग्राह्य माना गया हैं और उसके लिए किसी भी सरकारी अधिकारी के परीक्षण की आवश्यकता नहीं हैं। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त अशोक कुमार की जन्म रजिस्टर के सम्बंध में किसी पक्ष ने दस्तावेज पेश नहीं किया हैं। दोनों पक्षों ने पाठशाला

प्रवेश-पत्र एवं उसके अनुसरण में प्रवेश रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों एवं उनकी पुष्टि हेतु दोनों ओर से अध्यापकों को पेश किया गया हैं एवं प्रार्थी की ओर से प्रार्थी स्वयं एवं उसकी मां परमेश्वरी पेश हुई हैं। प्रार्थी की मां परमेश्वरी ने अपने बयानों में कहीं भी स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा हैं कि अशोक कुमार की जन्म तिथि 15.8.90 हो, अपितु वह तो अशोक कुमार को उसका जन्म संवत 2047 के भादवे माह के मध्य में होना बताती हैं। अशोक कुमार जिसकी उम्र विवादित हैं, उसने अपने मुख्य बयानों में जरूर कहा हैं कि उसने 1994 में फिरोज पुरा स्कूल में प्रवेश लिया था। उसकी जन्म तिथि 15.8.90 हैं जो कि प्रवेश रजि. के क्रमांक 621 में अंकित हैं परन्तु प्रतिपरीक्षण में अशोक कुमार ने इस तथ्य की स्वीकारोक्ति की हैं कि उसने फिरोजपुरा विद्यालय में पहले भी प्रवेश लिया था। इसकी यह स्वीकारोक्ति अभियोजन पक्ष के दस्तावेज प्रदर्श ए.2 व प्रदर्श ए 1 को एवं उसमें की गई प्रविष्टियों को सही ठहराती हैं, जिसके खण्डन हेतु अशोक कुमार, परमेश्वरी या रामदेव इन तीनों गवाहान में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा हैं। प्रदर्श ए 2 अशोक कुमार के पिता बनाराम के अं. नि. से भरकर पेश किया गया हैं, जिसमें उसकी जन्म तिथि 1.1.86 अंकित की गई हैं। इस आवेदन पत्र में ऐसा कोई कालम नहीं हैं, जिसमें 19.11.91 को उसकी उम्र कितनी हो गई, ऐसा हो। यही वजह हैं कि स्कूल रजि. प्रदर्श ए. 1 में 1.1.86 को आधार बनाते हुए उसकी उम्र उस दिन 5 वर्ष 10 माह अंकित की गई हैं तथा इसी रजिस्टर के आगे वाले कालम में लगातार अनुपस्थित रहने के कारण उसका नाम 18.8.92 को काटा गया, ऐसा लिखकर लघु हस्ताक्षर किये गये हैं। इसमें कई अन्य छात्रों का नाम अनुपस्थिति की वजह से काटा गया हैं, उसका भी उल्लेख हैं। इस तथ्य को अध्यापक भंवरलाल ने सम्पुष्ट किया हैं। उसने इस तथ्य का भी खुलासा किया हैं कि बाद में इसी स्कूल में अशोक कुमार ने 4.7.94 को प्रवेश किया, उसमें उसने अपनी उम्र 15.8.90 बतलाई हैं और इससे पहले कहीं अध्ययन करना नहीं बतलाया हैं। टी.सी. के बारे में इसी गवाह ने खुलासा किया हैं कि यदि कोई विद्यार्थी उसी विद्यालय में प्रवेश लेता हैं तो उसके साथ टी.सी. होनी चाहिए

परन्तु प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने के लिए टी.सी. की आवश्यकता नहीं रहती हैं। यही वजह हैं कि फिरोज पुरा स्कूल में 1994 में जब दुबारा प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया और उस समय उसका फार्म भरने वाले ने उसकी उम्र 15.8.90 बतलाई तब टी.सी. नियमानुसार नहीं मांगी गई। अब यदि किन्हीं कारणों से प्रेरित होकर अशोक कुमार के अभिभावकों ने यदि उसकी कोई दुसरी जन्म तिथि बता दी हो और उसी का ही रिप्रोडक्शन बाद के दस्तावेज में आ जाये तो उससे कोई तथ्य वास्तविक रूप से प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता। देखना यह हैं कि इस प्रकरण में जब एक बार 1994 के पहले भी 1991 में स्कूल में प्रवेश लेना जब अशोक कुमार स्वीकार करता हैं तब उसमें वर्णित जन्म तिथि सामान्य रूप से सही मानी जायेगी जब तक कि उसका ठोस रूप से खण्डन नहीं किया जावे। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी अशोक कुमार का पिता बनाराम साक्ष्य में पेश नहीं हुआ हैं जो यह कह सके कि प्रदर्श ए 2 गलत या फर्जी दस्तावेज हो। ऐसी स्थिति में प्रदर्श ए 2 में जो जन्म तिथि बतलाई गई है, वही अन्य दस्तावेज की तुलना में सही जन्म तिथि मानी जायेगी। डॉक्टर आर.के. अग्रवाल ने अशोक कुमार का सम्पूर्ण शारीरिक परीक्षण करने के बाद अपनी राय में जो लिखा हैं कि उसकी उम्र 17 से 19 वर्ष के मध्य की होनी चाहिए तथा इस उम्र में दो वर्ष का वेरियेशन भी होना बतलाया हैं, उसके अनुसार भी दिनांक 1.1.86 की जन्म तिथि वास्तविक जन्म तिथि दिखाई देती हैं। दि. 15.8.90 वाली जन्म तिथि किन्हीं अन्य कारणों से प्रेरित होकर लिखाई गई हैं, इसलिए स्कूल के दस्तावेज में व टी.सी. आदि में उसका यदि रिप्रोडक्शन हुआ हैं तो वह सत्य के रूप में प्रदर्श ए 2 के खंडन के अभाव में स्वीकार नहीं की जा सकती। अत: अभियुक्त अशोक कुमार की आयु के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जांच साक्ष्य का अवलोकन करने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि घटना के दिन वह 18 वर्ष से अधिक उम्र का होता हैं, इसलिए घटना के दिन उसे बालक या किशोर नहीं कहा जा सकता, इसलिए ऐसी स्थिति में उसके बारे में विचारण करने का इस न्यायालय को पूर्ण अधिकार हैं।"

I have gone through the order of the learned Addl. District and Sessions Judge (Fast Track) Nagaur very carefully and I have no reason to take a different view in the matter. It is clear that the learned lower Court has not committed any error or illegality when it held that the petitioner was more than 18 years old on the date of occurrence.

There is no ground for interference.

The revision petition is dismissed accordingly.

(G.S. SARRAF), J.

cpgoyal/-